दिनांक–18.09.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में आयोजित पेंशन/सेवांत लाभ के लम्बित मामलों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

1. पूर्व से लम्बित पेंशन /सेवांत लाभ के मामलों को अविलम्ब निष्पादित किया जाय।
2. सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारी/कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही ग्रूप बीमा, अव्यवहृत अर्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान/पेंशन तथा उपादान की राशि का भुगतान नियमानुसार सुनिश्चित किया जाय।
3. सेवानिवृत्त कर्मी के अव्यवहृत अर्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान की राशि तभी रोकना है, जब उस पर असमायोजित अग्रिम लंबित हो/वसूली करनी हो/विभागीय कार्यवाही संचालित हो।
4. सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मचारियों को औपबंधिक पेंशन/उपादान का 90 प्रतिशत भुगतान किया जाय। यदि कर्मी से कोई वसूली करनी हो, तो उपादान की राशि को रोककर औपबंधिक पेंशन दिया जाय।
5. यदि किसी पदाधिकारी/कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को नियमानुसार सामान्य भविष्य निधि/ग्रुप बीमा की राशि आदि का भुगतान किया जाय। अन्य मामलें में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र/अंचल अधिकारी से वंशावली प्रमाण पत्र के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई किया जाय।
6. यदि कोई भी पदाधिकारी/कर्मचारी बर्खास्त हो जाता है, तो उनके सेवान्त लाभ में सामान्य भविष्य निधि/ग्रुप बीमा की राशि आदि का भुगतान किया जाय।
7. पेंशन प्रपत्र सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व प्राप्त करने का नियम है, तदनुसार पेंशनादि की स्वीकृति हेतु कागजात महालेखाकार बिहार, पटना को भेज दिया जाय, ताकि सेवानिवृत्ति की तिथि तक उसके पेंशनादि की स्वीकृति हो सके।
8. सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व नियमानुसार उनके पदस्थापन के स्थानों संबंधित सामान्य भविष्य निधि में की गयी कटौति विवरणी एवं अवकाश लेखा की सूचना प्राप्त कर ली जाय, ताकि सेवानिवृत्ति के समय भविष्य निधि कार्यालय से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने में विलम्ब न हो।
9. वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना ज्ञापांक–77 दिनांक 27.01.2019 में निहित प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को उपादान की राशि का भुगतान किया जाय।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

18/x/19

(मनोज कुमार)
उप सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना

ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–7/अ0प्र0–3–3/2016 7386 पटना, दिनांकः– 18.10.19

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ अधीक्षण अभियंता, सभी कार्य/अकार्य अंचल, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/कार्यपालक अभियंता, सभी कार्य/अकार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/X/19

(मनोज कुमार)
उप सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना